उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

पुनर्विचार याचिका सं0 1654 वर्ष 2018
संबंधित विशेष अपील संख्या. 945 वर्ष 2018

मेसर्स भारत कंस्ट्रक्शन और अन्य ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य. ..... उत्तरदाता

श्री देवेश बिश्नोई, पुनर्विचार याचिकाकर्ता–अपीलार्थियों के अधिवक्ता।
श्री जे. सी. पांडे, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक/उत्तरदाता।

तारीखः08 मार्च, 2019

कोरमः माननीय रमेश रंगनाथन, C.J., माननीय आलोक सिंह, जे.

रमेश रंगनाथन, C.J., (मौखिक)

1. यह याचिका (M.C.C. संख्या 1654/2019) 28.11.2018 को 2018 की विशेष अपील संख्या. 945 में हमारे द्वारा पारित आदेश के पुनर्विचार हेतु दायर की गई है।

2. यहां आवेदक 2018 की विशेष अपील संख्या. 945 में अपीलार्थी हैं, जो दिनांक 12.10.2018 की रिट याचिका (एम/एस संख्या. 3116/2018) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अपीलार्थियों को मध्यस्थता के उपाय से वंचित कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने खण्ड पीठ के समक्ष तर्क दिया था कि इकरारनामा के मध्यस्थता खंड को केवल तभी उपयोग करना किया जा सकता है जब कोई विवाद हो; देयता विवाद में नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी अधिकारी देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे; और इसलिए मध्यस्थता का मार्ग उपलब्ध नहीं था।

3. हमने उच्चतम न्यायालय के कई अधिनिर्णयनों पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार, गैर–सांविधिक संविदात्मक विवादों पर विचार करने के लिए भी वर्जित नहीं है, लेकिन यह, सामान्य रूप से, संविदात्मक क्षेत्र में विवादों से जुड़ी रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से परहेज करेगा, क्योंकि ये मामले या तो मध्यस्थ के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए अधिक उपयुक्त हैं (यदि इकरारनामा में मध्यस्थता का बिंदु शामिल है) या सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष जिसके समक्ष दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस पर निर्णय लिया जा सकता है। हमने **मै0एस. एम. कंस्ट्रक्शन (2018 की विशेष अपील संख्या. 742 में निर्णय दिनांक 30.10.2018)** में खण्ड पीठ के अन्य फैसले का भी अवलोकन किया और यह मत व्यक्त किया था कि, **मेसर्स एस. एम. कंस्ट्रक्शन** के विपरीत, 2018 की रिट याचिका (मेसर्स) संख्या. 3116 को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था; न तो उक्त रिट याचिका को स्वीकार किया गया था, और न ही प्रतिवादी को अपने जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तलब किया गया था; और, जबकि अपीलार्थी दावा कर सकते हैं कि उन्हें देय राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है, अपीलार्थियों के इस दावे को केवल प्रतिवादी द्वारा विवादित किया जा सकता था, यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर विचार करने का विकल्प चुना होता, और प्रतिवादी को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा होता।

4. हमने यह भी नोट किया था कि अंतर–न्यायालय अपील का दायरा अत्यंत सीमित था, और अपील के तहत निर्णय को इस आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता था कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, जो अपील न्यायालय स्वीकार कर सकता है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। हमने अभिनिर्धारित किया था कि विद्वत एकल न्यायाधीश का आदेश कियसी प्रकट त्रुटि या अवैधता से ग्रस्त नहीं है जिससे एक अंतर–न्यायालय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि विद्वत एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर विचार नहीं करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और इसे आरंभ से से खारिज कर दिया था। हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि न तो अपील के अधीन आदेश, और न ही अपील में पारित आदेश, अपीलार्थियों को इकरारनामा में मध्यस्थता अनुच्छेद को लागू करने के उनके उपाय का लाभ उठाने से अक्षम करेगा (यदि ऐसा उपाय उपलब्ध था), और यदि नहीं, तो मुकदमा दायर करने के उनके उपाय का लाभ उठाने से।

5. श्री देवेश बिश्नोई, समीक्षा आवेदकों–अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि दिनांक 28.11.2018 की विशेष अपील संख्या. 945 में खण्ड पीठ के आदेश में एक त्रुटि स्पष्ट है; आवेदकों को देय और देय राशि विवाद में नहीं थी; आवेदक को इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उन्हें स्वीकार की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया था; क्योंकि खण्ड

पीठ ने मेसर्स एस. एम. कंस्ट्रक्शन में रिट याचिका दायर कर और प्रतिवादी को भुगतान करने का निर्देश दिया था, बाद की खण्ड पीठ एक अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकती थी; और, सबसे अच्छा, यह मामले को एक बड़ी पीठ को भेज सकता था।

6. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्याायलय द्वारा जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, वह विवेकाधीन है। मौजूदा मामले में, विद्वत एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर विचार नहीं करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया था, और इसके बजाय आवेदकों को मध्यस्थता के उपाय के लिए छोड़ दिया था। खण्ड पीठ द्वारा अपील पर विचार न करने या उसके गुणादोष के आधार पर आवेदकों के दावे की जांच न करने का निर्णय लिया और विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्ट करते हुए आवेदक को इकरारनामा में मध्यस्थता अनुच्छेद के उपाय का लाभ उठाने के लिए, और यदि ऐसा अनुच्छेद लागू नहीं था, तो दीवानी मुकदमा दायर करने के उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। रिट याचिका पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करना, और मध्यस्थता के उपाय का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपदस्थ करना, या दीवानी मुकदमा दायर करना, उक्त आदेश स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं है जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जा सके। खण्ड पीठ, जिसके आदेश के पुनर्विचार की मांग की गई है, ने **M/s S.M. Constructions** में खण्ड पीठ के फैसले पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि, उस मामले के विपरीत, मौजूदा मामले में रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था; और नतीजन, प्रतिवादी से यह बताने के लिए भी नहीं कहा गया था कि रिट याचिका में तथ्यात्मक दावे स्वीकार किए गए थे या नहीं। चूंकि पुनर्विचाराधीन आदेश **मेसर्स एस. एम. कंस्ट्रक्शंस** में पूर्ववर्ती खण्ड पीठ के निर्णय पर विचार करने के बाद पारित किया गया था और इससे अलग दृष्टिकोण नहीं लिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त निर्णय मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, इसलिए यह दलील कि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए था, स्वीकृति के योग्य नहीं है।

7. पुर्नविचार छद्म रूप में अपील नहीं है और न ही ऐसी कार्यवाहियों में मामले की पुनः सुनवाई की अनुमति है। पुनर्विचार कार्यवाहियों में गुण–दोष के आधार पर दिए गए तर्कों पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय के दायरे में आता हैं। पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामलों या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित प्रयास के बाद पुनर्विचार चाहने वाले व्यक्ति के संज्ञान में नहीं थे, या आदेश किए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका; इसका प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां अभिलेख प्रत्यक्ष रूप से कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट पाई जाती है; इसका प्रयोग किसी भी अनुरूप आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण–दोष के आधार पर गलत था। वह अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। पुनर्विचार की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो एक अपील न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बना सकती है। **(अरिबाम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबाम पिशक शर्मा और अन्यःए. आई. आर 1979 एस. सी. 1047; शिवदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्यःए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1909; श्रीमती मीरा भंज बनाम श्रीमती. निर्मला कुमारी चौधरीःए. आई. आर. 1995 एस. सी. 455,)** पुनर्विचार कार्यवाहियां अपील के रूप में नहीं हैं, और आदेश 47 नियम 1 सीपसी के दायरे तक सख्ती से सीमित होनी चाहिए। **(श्रीमती. मीरा भंज बनाम श्रीमती. निर्मला कुमारी चौधरीःएआईआर 1995 एससी 455)।**

8. एक पक्ष को केवल मामले की पुनः सुनवाई और नए निर्णय के उद्देश्य से निर्णय की पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार नहीं है। **(सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यःए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845; मेसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम लेफ्टिनेंट. दिल्ली के राज्यपालः(1980) 2 एससीसी 167)**। पुनर्विचार कार्यवाही की तुलना मामले की मूल सुनवाई के साथ नहीं की जा सकती है, और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ''न्यायिक त्रुटि के कारण पहले कोई स्पष्ट चूक या प्रत्यक्ष गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि हुई हो।'' **(सौचंद्र कांटे और एक अन्य बनाम शेख हबीबः(1975) 1 एस. सी. सी. 674; मेसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनामलेफ्टिनेंट. दिल्ली के राज्यपालः(1980) 2 एससीसी 167)**। पुनर्विचार कार्यवाहियों में, यह न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब पुनर्विचार के अधीन आदेश अभिलेख में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त हो। हम संतुष्ट हैं कि उक्त आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। अतः पुर्नविचार आवेदन खारिज कर दिया जाता है। कोई खर्च नहीं।

(आलोक सिंह, जे.)
08.03.2019

(रमेश रंगनाथन, C.J.)
08.03.2019